प्रेषक,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

प्रबन्धक / व्यवस्थापक / अध्यक्ष,
सरस्वती विद्या मन्दिर, माण्डूवाला,
प्रेमनगर, देहरादून।

विषय :— निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता / नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

पत्रांकः— मान्यता बे0 / 5291–957 मा0नवीनी0 / 2025–26 दिनांक. 16 जून, 2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके विद्यालय को इस कार्यालय के पत्रांक शिविर(बे0) / 15–क / 13009–14 / नवीनीकरण / 2019–20 दिनांक 12.02.2020 के द्वारा दिनांक 01.08.2018 से दिनांक 31.07.2023 तक (मान्यता कोड 175) कक्षा–01 से कक्षा–08 तक (हिन्दी माध्यम) मान्यता नवीनीकरण किया गया था। आपके द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा पत्र व ऑनलाईन आवेदन कमांक 75221 दिनांक 07.08.2023 एवं उप शिक्षा अधिकारी सहसपुर की स्थलीय निरीक्षण आख्या में विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम से मान्यता नवीनीकरण की संस्तुति के आधार पर विद्यालय को कक्षा–1 से कक्षा–08 तक (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय संचालन की अनुमति दिनांक 16.06.2025 से आगामी 05 वर्षो के लिये मान्यता नवीनीकृत किया जाता है और 05 वर्ष उपरान्त नवीनीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। पूर्व आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

(विनोद कुमार ढौडियाल)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।

पृ0सं0 / मान्यता (बे0) / / नवीनीकरण / 2025–26 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0), देहरादून।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय–समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत् निरीक्षण करते रहें।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।

SVM KESHAV VIDYA MANDIR MANDUWALA DEHRADUN PRINCIPAL